

16.03.2018

आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री अखिलेश समाधिया उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघैल उपस्थित।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर बल न देना व्यक्त किया गया।

अतः प्रकरण आवेदक अधिवक्ता के द्वारा बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)